FORM NO- 10

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

भंवरलाल बनाम तहसीलदार

मु0न0 27/2017

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र स्थगन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर वतारीख अहकामजो इ हुक्मकी तामी में जारी हुए
18.09.2017	प्रार्थी की ओर से वकील श्री सांवर मल उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 14.07.2017 की कियान्विति स्थगित किये जाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्ता वेजात का अवलोकन किया। प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट 1956 के तहत बेदखल किये जाने के विरूद्व पेश किया गया है। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से सहमत होने पर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वाके ग्राम बुजियानाऊ के खसरा नम्बर 19 रकबा 0.15 है0 किस्म गै. मु. रास्ता का सीमाज्ञान करके ही बेदखली कार्यवाही नियमानुसार करें और जब तक सीमाज्ञान नहीं किया जाये, तब तक बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। आदेश एवं नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 09.10.2017 को पेश हो। [signature] अति. जिला कलक्टर, सीकर	
9/10/17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व सरकारी पैरोकार उपस्थित। प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील का निस्तारण हो चुका है। अब प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील मूल अपील के संलग्न रहे। [signature] 9/10/17	